



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264795
CG-DL-E-18072025-264795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3244]
No. 3244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3317(अ).— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उपनियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अन्य संशोधन करती है नामतः

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक "डिग्री" के अंतर्गत, क्रम संख्या 93 के समक्ष, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
94.संस्कारम पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, झज्जर हरियाणा	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एवं ए.एच. [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब इसे दिनांक 30 जून 2027 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगा]

[फा. सं. के-12052-9/27/2021-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट: भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड(ii) में दिनांक 14 जुलाई, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3232(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3317(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, after serial number 93 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised veterinary qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“94. Sanskaram College of Veterinary and Animal Science, Jhajjar, Haryana	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 30 th June, 2027.]”

[F. No. K-12052-9/27/2021-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3232(E), dated 14th July, 2025.